

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड पीलीबंगा

क्रमांक:-

दिनांक:-

अध्यक्ष,

एस.डी. मेमोरियल पब्लिक शिक्षण समिति,

1 टी.के.डब्ल्यू, उमेवाला रोड,

गोलूवाला।

विषय:-भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 17.02.2026 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसागिक पत्र के क्रम में लेख है कि कनिष्ठ अभियन्ता सानिवि उपखण्ड पीलीबंगा के निरीक्षण तथा सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर संलग्न नक्शे में दर्शाये गये भवन के कमरों उपयोग हेतु सुरक्षित पाये जाने पर निचे दी गई निम्न शर्तों पर **भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र** जारी किया जाता है-

1. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरन्त सूचना दी जायें।
2. भवन की छत अथवा दीवार में दृष्टि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जायें अन्यथा प्रार्थी किसी भी अनहोनी के लिये स्वयं जिम्मेवार होगा।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. यह प्रमाण-पत्र वर्ष **31.03.2028** तक के लिये मान्य होगा।
5. सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन वर्ष पश्चात् एंव वैधता तिथि से पूर्व (जो पहले हो) लेना अनिवार्य है।
6. भवन संरचनात्मक विवरण उपलब्ध नहीं होने पर संरचना की आंतरिक सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
7. यह भवन शैक्षणिक उपयोग के लिये उपर्युक्त है या नहीं इसकी समस्त जिम्मेवारी भवन संचालक/शिक्षा विभाग/कॉलेज शिक्षा की होगी।
8. भवन के कानूनी दस्तावेज के लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
9. भवन में प्रत्येक तल पर अग्निशामक यंत्र लगा है।
10. ए.सी सीट/खीप की छत/टिन शेड सुरक्षित नहीं है।

टिप्पणी:- (वर्ष के दौरान यदि भवन शिक्षण संस्था के अतिरिक्त अन्य गतिविधि के लिये उपयोग में लिया जाता है तो यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।)

भवदीय

(मोहसीन खान)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड पीलीबंगा

Signature valid

Digitally signed by Moh Seen Khan
Designation : Executive Engineer
Date: 2026.02.26 18:22:41 IST
Reason: Approved

